635

[2020] 13 एस. सी. आर 635

क.

सरिता एस. नायर

वी.

हिबी ईडन

(2020 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 10678) 09 दिसंबर, 2020

[एस**.** ए**.** बोबडे**,** सीजेआई**,** ए**.** एस**.** बोपन्ना और वी**.** रामसुब्रमणियन**,** जे**.** जे**.]**

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 -एस. 8 (3)-के तहत अयोग्यता-याचिकाकर्ता ने दो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से नामांकन दाखिल किए-नामांकन इस आधार पर खारिज कर दिए गए कि उसे 2 आपराधिक मामलों में दोषी ठहराया गया था-दोनों मामलों में, उसे अलग-अलग 3 साल के कारावास की सजा दी गई थी-उच्च न्यायालय ने एक मामले में दोषसिद्धि को निलंबित कर दिया और दूसरे मामले में सजा के निष्पादन पर रोक लगा दी-चुनाव समाप्त होने के बाद, याचिकाकर्ता ने दो चुनाव याचिकाएं दायर कीं जिसमें तर्क दिया गया कि उसके नामांकन की अस्वीकृति अवैध और अन्यायपूर्ण थी-उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा उसकी चुनाव याचिकाओं में बहुत सारे दोष देखे गए थे, जिसमें एक चुनाव याचिका की प्रार्थना में दोष भी शामिल था-उच्च न्यायालय ने दोनों चुनाव याचिकाओं को इस आधार पर खारिज कर दिया कि एस के संदर्भ में लाइलाज दोष थे।86(1) 1951 के अधिनियम और याचिकाकर्ता को यू/एस के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया था।8(3) 1951 के अधिनियम आर/डब्ल्यू। संविधान का Art.102 (1) (ई)-पीड़ित दो एस. एल. पी. दायर किए गए थे, प्रत्येक चुनाव याचिका से उत्पन्न एक-एक एस. एल. पी. को गैर-अभियोजन के लिए खारिज कर दिया गया था-शेष एस. एल. पी. में, यह देखा गया कि चुनाव याचिका में उच्च न्यायालय के साथ जो वजन था; (i) उचित सत्यापन की कमी; (ii) एक अपूर्ण प्रार्थना; (iii) मुख्यमंत्री के खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोप-आयोजित किए गए:एक दोषपूर्ण सत्यापन एक इलाज योग्य दोष है-उच्च न्यायालय ने दोषों को लाइलाज ठहराने में एक गंभीर त्रुटि की-दोषों को ठीक किया जा सकता था और दोषों को ठीक करने का अवसर दिया जाना चाहिए था-इसके अलावा, केरल उच्च न्यायालय, 1971 के नियमों में अध्याय XVI में नियम Nos.207 से 219 तक के नियमों का एक समूह शामिल है, ये नियम चुनाव याचिकाओं की स्थापना और मुकदमे की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं-नियमों में यह संकेत देने के लिए कुछ भी नहीं है कि नामित न्यायाधीश दोषों को ठीक करने के लिए याचिकाकर्ता को याचिका वापस करने में असमर्थ थे-उच्च न्यायालय यह सोचने में गलत था कि चुनाव याचिका का दोषपूर्ण सत्यापन था

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

635 ए.

636 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 13 एस. सी. आर.

पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने के बाद चुनाव याचिकाकर्ता की योजना की ओर इशारा करते हुए-उच्च न्यायालय को याचिकाकर्ता को इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले दोषों को दूर करने का अवसर देना चाहिए था-याचिकाकर्ता को

किसी भी उद्देश्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता था, केवल इसलिए कि उसने किसी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे-याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना में दोष भी एक ठीक करने योग्य दोष था-जहां तक आपराधिक अदालत द्वारा सजा के प्रभाव का संबंध है, सजा के निष्पादन के निलंबन से दोषसिद्धि में कोई बदलाव या प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसलिए ऐसा व्यक्ति अयोग्य रहेगा।8(3) 1951 के अधिनियम के अनुसार-अपीलीय न्यायालय के पास यू/एस के तहत पर्याप्त शक्तियां हैं।389(1) संहिता के अनुसार, दोषसिद्धि के साथ-साथ सजा पर रोक लगाने के लिए और यह कि जहां भी दोषसिद्धि पर रोक लगाई गई है, अयोग्यता काम नहीं करेगी-तत्काल मामले में, अयोग्यता यू/एस।8(3) 1951 के अधिनियम की धारा तब तक जारी रहेगी जब तक दोषसिद्धि पर कोई रोक नहीं है-याचिकाकर्ता ने केवल सजा के निष्पादन पर रोक प्राप्त की और दोषसिद्धि पर रोक प्राप्त नहीं कर सकी-इसलिए, उसके नामांकन वैध रूप से खारिज कर दिए गए।

ग

डी.

विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए, अदालत ने

पकड़ना:**1.** उच्चतम न्यायालय के विभिन्न फैसलों का परिणाम यह है कि दोषपूर्ण सत्यापन एक उपचार योग्य दोष है।चुनाव याचिका को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि सत्यापन दोषपूर्ण है।**[**पैरा **43] [652-**सी**-**डी**]**

ई.

2. इसलिए, उच्च न्यायालय ने उल्लिखित **3** दोषों को लाइलाज ठहराने में गंभीर त्रुटि की।दोषों का इलाज किया जा सकता है और जैसा कि याचिकाकर्ता के वकील ने सही तर्क दिया है, दोषों को ठीक करने का अवसर दिया जाना चाहिए था।इसके बजाय, देखे गए दोषों को देखते हुए, चुनाव याचिका को बिना संख्या के अदालत के समक्ष रखा गया था।न्यायालय ने दोषों के उपचार पर दलीलों के अधीन याचिका को क्रमांकित करने का निर्देश दिया।इसके बाद चुनाव याचिका में प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए गए और अंत में दोनों पक्षों को सुनने के बाद इसमें विवादित आदेश पारित किया गया।उच्च न्यायालय ने उक्त प्रक्रिया का पालन करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए किसी भी नियम पर भी भरोसा नहीं किया।**[**पैरा **44] [652-**डी**-**एफ**]** ए

च

जी.

एच.

637

सरिता एस. नायर बनाम हिबी ईडन ए

3. जिस तरह से केरल उच्च न्यायालय, **1971** के नियमों के नियम **210** को शब्दबद्ध किया गया है, वह एक धारणा देता है जैसे कि धारा **86 (1)** के तहत आदेश पारित करने के लिए, पंजीकृत होने के तुरंत बाद न्यायाधीश के पास एक चुनाव याचिका रखी जानी चाहिए।यदि याचिका धारा **86 (1)** के तहत खारिज नहीं की जाती है, तो न्यायाधीश के निर्देश पर प्रत्यर्थियों को समन जारी किया जाना चाहिए।जिस मामले में नामित न्यायाधीश, जिनके समक्ष चुनाव याचिका दोषपूर्ण के रूप में सूचीबद्ध की गई थी, ने प्रतिवादियों को समन जारी करने का फैसला किया, जिसमें उनसे दोषों के उपचार के साथ-साथ याचिका की स्थिरता पर बहस करने का आह्वान किया गया।नियमों में यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि नामित न्यायाधीश दोषों को ठीक करने के लिए याचिकाकर्ता को याचिका वापस करने में असमर्थ था।**[**पैरा **46] [653-**बी**-**डी**]**

ग

4. केरल उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को मंजूरी नहीं दी जा सकती है।उच्च न्यायालय का यह सोचना गलत था कि चुनाव याचिका का दोषपूर्ण सत्यापन, विशेष रूप से पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने के बाद, बाद के चरण में दलीलों को अस्वीकार करने के लिए चुनाव याचिकाकर्ता की योजना का एक संकेत था।यदि केवल उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को सत्यापन में खामियों को दूर करने का अवसर दिया होता और यदि इस तरह के अवसर के बावजूद, याचिकाकर्ता उचित सत्यापन करने में विफल रहा होता, तो उच्च न्यायालय तब याचिकाकर्ता को लुका-छिपी करने का दोषी ठहरा सकता था।दोषों को ठीक करने का अवसर देने में उच्च न्यायालय की विफलता अनुचित है।**[**पैरा **47] [653-**डी-एफ**]**

डी.

ई.

5. याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना में दोष भी एक उपचार योग्य दोष था, क्योंकि "शून्य के रूप में" शब्दों को शामिल करने के लिए छोड़ दिया गया था, जिससे प्रार्थना का अस्तित्व, अर्थहीन हो गया था।यह सच है कि चुनाव याचिकाकर्ता को एक उचित राहत को शामिल करने और एक उचित सत्यापन करने में अधिक सावधान और मेहनती होना चाहिए था।लेकिन याचिकाकर्ता का कोई मकसद नहीं माना जा सकता था, केवल इसलिए कि उसने किसी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। इसलिए, यह न्यायालय पहले मुद्दे पर यह मानता है कि याचिकाकर्ता द्वारा किए गए सत्यापन और प्रार्थना में दोषों का इलाज किया जा सकता था और याचिकाकर्ता को दोषों को ठीक करने का अवसर दिया जाना चाहिए था।**[**पैरा **48] [653-**एफ-एच**]**

च

जी.

एच.

6. इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने बी**.** आर**.** कपूर बनाम मामले में निर्णय दिया। तमिलनाडु राज्य ने कहा कि कारावास की सजा को निलंबित करने वाले अपीलीय/पुनरीक्षण न्यायालय के आदेश को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **389** के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए और उक्त प्रावधान के तहत जो निलंबित किया गया है वह केवल सजा का निष्पादन है न कि सजा का।संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि सजा के निष्पादन के निलंबन से दोषसिद्धि में कोई बदलाव या प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसलिए ऐसा व्यक्ति धारा **8 (3)** के तहत अयोग्य रहेगा।वास्तव में, बी**.** आर**.** कपूर में एक व्यक्ति जिसका नामांकन अयोग्यता के आधार पर खारिज कर दिया गया था, उस पार्टी के नेता के रूप में चुना गया जिसने चुनावों में बहुमत हासिल किया और मुख्यमंत्री बना और इसलिए अनुच्छेद **164** को सेवा में लगाया गया।लेकिन इसे भी इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि एक व्यक्ति जिसे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराया गया था, वह अनुच्छेद **164** का मार्ग नहीं अपना सकता है।**[**पैरा **57] [655-**बी-ई**]**

ग

7. संभवतः बी**.** आर**.** कपूर में जो देखा गया था, उससे प्रेरणा लेते हुए लिली थॉमस बनाम में धारा **8 (4)** को चुनौती दी गई थी। भारत संघ इस आधार पर कि वह संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।उक्त प्रावधान को असंवैधानिक घोषित करते हुए, इस न्यायालय ने लिली थॉमस में निर्णय दिया कि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य जिसे तुच्छ दोषसिद्धि का सामना करना पड़ता है, वह अक्षम नहीं होगा।राम नारंग बनाम राम नारंग में निर्णयों पर ध्यान देना।

डी.

ई.

इस न्यायालय ने लिली थॉमस में अभिनिर्धारित किया कि अपीलीय न्यायालय के पास संहिता की धारा **389 (1)** के तहत दोषसिद्धि के साथ-साथ सजा पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त शक्तियां हैं और जहां भी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी गई है, अयोग्यता काम नहीं करेगी।**[**पैरा **59] [655-**जी-एच**; 656-**ए-सी**]**

च

8. जिस तरह बी**.** आर**.** कपूर में की गई टिप्पणियों ने लिली थॉमस में अधिनियम की धारा **8 (4)** को चुनौती दी**,** उसी तरह लिली थॉमस में अपीलीय न्यायालय की दोषसिद्धि के साथ-साथ सजा के निष्पादन पर रोक लगाने की शक्ति के बारे में चर्चा ने एक और चुनौती दी।

जी.

मुकदमेबाजी की लड़ाई।लोक परहारी बनाम चुनाव आयुक्त

भारत याचिकाकर्ता ने एक घोषणा की मांग की कि अपीलीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर रोक लगाने से भी ए को मिटाने का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

एच.

639

सरिता एस. नायर बनाम हिबी ईडन ए

अयोग्यता को बाहर करें।याचिकाकर्ता का तर्क था कि कानून दोषसिद्धि पर रोक लगाने का प्रावधान नहीं करता है।लेकिन इस अदालत ने इस आधार पर चुनौती को खारिज कर दिया कि राम नारंग और लिली थॉमस के फैसलों ने इस संबंध में मुद्दा उठाया।**[**पैरा **60] [656-**सी**-**ई**]**

9. इसलिए**,** प्रभावी रूप से**,** धारा **8 (3)** के तहत अयोग्यता तब तक जारी रहेगी जब तक कि दोषसिद्धि पर कोई रोक नहीं है।हाथ में मामले में**,** याचिकाकर्ता दोषसिद्धि की रोक प्राप्त नहीं कर सका**,** लेकिन केवल सजा के निष्पादन की रोक प्राप्त की। इसलिए उनके नामांकन को निर्वाचन अधिकारी ने वैध रूप से खारिज कर दिया।केवल इसलिए कि अमेठी निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन अधिकारी ने इस तथ्य को नजरअंदाज करने में गलती की है**,** याचिकाकर्ता वैधानिक प्रिस्क्रिप्शन के खिलाफ विरोध का अनुरोध नहीं कर सकता है।**[**पैरा **61] [656-**ई**-**एफ**]**

ग

बी**.** आर**.** कपूर बनाम तमिलनाडु राज्य **(2001) 7** एससीसी

231:[2001] 3 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 191-**अनुसरण किया गया।

डी.

मुरारका राधे श्याम राम कुमार बनाम रूप सिंह

राठौर आकाशवाणी (1964) एससी 1545:[1964] 3 एससीआर 573; एफ. ए. सापा बनाम सिंगोरा (1991) 3 एस. सी. सी. 375:[1991] 2 एससीआर 752;

सरदार हरचरण सिंह बरार बनाम सुख दर्शन सिंह

(2004) 11 एससीसी **196:[2004] 5** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 682-**पर निर्भर।

ई.

आर**.** पी**.** मोइदुट्टी बनाम पी**.** टी**.** कुंजू मोहम्मद **(2000) 1** एस**.** सी**.** सी**. 481;** के**.** के**.** रामचंद्रन मास्टर बनाम एम**.** वी**.**

श्रेयमकुमार (2010) 7 एस. सी. सी. 428:[2010] 7 एससीआर 712;

पी. ए. मोहम्मद रियास बनाम एम. के. राघवन **(2012) 5** एससीसी **511:[2012] 4** एससीआर **56;** जी. एम. सिद्धेश्वर बनाम प्रसन्ना कुमार **(2013) 4** एस. सी. सी. **776;** लिली थॉमस बनाम भारत संघ

च

(2013) 7 एससीसी 653:[2013] 10 एससीआर 1130; राम नारंग बनाम रमेश नारंग (1995) 2 एससीसी 513: [1995] 1 एससीआर

456; रविकांत एस. पाटिल बनाम सर्वभौमा एस. बगाली **(2007)**

1 एससीसी **673:[2006] 8** पूरक।एस. सी. आर. **1156-**संदर्भित।निर्णीत विधि संदर्भ

जी.

[1964] 3 एस. सी. आर. **573** पैरा **36 [1991] 2** एस. सी. आर. **752** पैरा **37** पर निर्भर था।

एच.

640 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 13 एस. सी. आर.

(2000) 1 एस. सी. सी. **481** पैरा **39 [2004] 5** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस. सी. आर. **682** पैरा **40 [2010] 7** एस. सी. आर. **712** पर निर्भर था जिसे पैरा **41 [2012] 4** एस. सी. आर. **56** के रूप में संदर्भित किया गया है जिसे पैरा **42 [2001] 3** पूरक के रूप में संदर्भित किया गया है।एस. सी. आर. **191** ने पैरा **57 [2013] 10** एस. सी. आर. **1130** का अनुसरण किया**,** जिसे पैरा **59 [1995] 1** एस. सी. आर. **456** के रूप में संदर्भित किया गया है**,** जिसे पैरा **59 [2006] 8** पूरक के रूप में संदर्भित किया गया है।पैरा **59** में निर्दिष्ट एस. सी. आर. **1156**

ग

विशेष छूट याचिका (नागरिक) सं। 2020 का 10678:2018 की सिविल अपील संख्या 2175-2178।

2019 की चुनाव याचिका संख्या 4 में एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के दिनांक 31.10.2019 के निर्णय और आदेश से।

सुश्री D.Geetha, सुश्री प्रिया रमोला देवी, वी. रामसुब्रमण्यन, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

डी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

वी. रामसुब्रमण्यन**,** जे.

1. केरल उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा दायर 2 चुनाव याचिकाओं को खारिज करते हुए पारित एक सामान्य आदेश के खिलाफ, असाध्य दोषों के आधार पर, चुनाव याचिकाकर्ता उपरोक्त विशेष अनुमति याचिका के साथ आया है।यह एसएलपी 2019 की चुनाव याचिका संख्या 4 से उत्पन्न होती है।उसी याचिकाकर्ता द्वारा उसी सामान्य आदेश के खिलाफ दायर एक और चुनाव याचिका, जो 2019 की चुनाव याचिका संख्या 3 से उत्पन्न हुई थी, इस अदालत द्वारा 02.11.2020 पर गैर-अभियोजन के लिए खारिज कर दी गई थी।इसलिए, इस आदेश में 2019 की चुनाव याचिका संख्या 4 शामिल है। 2.याचिकाकर्ता की विद्वान वकील सुश्री डी. गीता को सुना।3. अप्रैल-मई, 2019 में लोकसभा के लिए हुए चुनावों में, याचिकाकर्ता ने एर्नाकुलम निर्वाचन क्षेत्र में 04.04.2019 पर अपना नामांकन दाखिल किया।याचिकाकर्ता को एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना था।4. 06.04.2019 पर याचिकाकर्ता का नामांकन इस आधार पर खारिज कर दिया गया

था कि उसे 2 आपराधिक मामलों में दोषी ठहराया गया था, एक 2013 के CC No.1300 में JFMC-I, पठानमथिट्टा की फाइल पर और दूसरा 2014 के CC No.102 में JFMC-I, पेरुम्बवूर की फाइल पर।पहले ए में

ई.

च

जी.

एच.

641

सरिता एस. नायर वी. हिबी ईडन [वी. रामसुब्रमणियन, जे.] ए.

मामले में याचिकाकर्ता को दिनांकित 08.06.2015 के फैसले द्वारा 3 साल के कारावास की सजा, Rs.45 लाख के जुर्माने के साथ लगाया गया था।दूसरे मामले में उसे 3 साल के कारावास की सजा के साथ-साथ एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।5. याचिकाकर्ता ने 2013 के सीसी No.1300 में अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ सत्र न्यायालय, पठानमथिट्टा के समक्ष 2015 की आपराधिक अपील No.87 दायर की।लेकिन अपील खारिज कर दी गई और याचिकाकर्ता ने 2018 के आपराधिक मामले में उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण दायर किया।आई. डी. 2 पर, उच्च न्यायालय ने केवल सजा के निष्पादन को निलंबित कर दिया और याचिकाकर्ता को जमानत पर बढ़ा दिया, बशर्ते कि वह 2 विलायक प्रतिभूतियों के साथ 5 लाख रुपये के बांड को निष्पादित करे और जुर्माने की राशि के लिए आई. डी. 1 लाख जमा करे।

ग

6. इसी तरह, याचिकाकर्ता ने 2014 के सीसी No.102 में अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ सत्र न्यायालय, एर्नाकुलम के समक्ष 2017 की आपराधिक अपील No.25 दायर की।अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा 2 प्रतिभूतियों के साथ 1 लाख रुपये के मुचलके को निष्पादित करने की शर्त पर सजा के निष्पादन पर रोक लगा दी।

डी.

7. निर्वाचन अधिकारी ने अपने दिनांक 1 के आदेश में उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 (3) के अनुसार अयोग्य ठहराया गया था, क्योंकि अयोग्यता की अवधि समाप्त नहीं हुई थी।

ई.

8. नामांकन की अस्वीकृति के आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास अपील दायर की। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने 2019 के डब्ल्यू. पी. (सी) No.11282 में एक रिट याचिका दायर की।लेकिन रिट याचिका को 09.04.2019 पर खारिज कर दिया गया।याचिकाकर्ता ने एक रिट अपील दायर की लेकिन उसे 12.04.2019 पर भी खारिज कर दिया गया।

च

9. इसलिए, चुनाव समाप्त होने के बाद, याचिकाकर्ता ने 2019 की चुनाव याचिका संख्या 4 में एक चुनाव याचिका दायर की, जिसमें मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि उनके नामांकन की अस्वीकृति अवैध और अन्यायपूर्ण थी और इस तरह की अस्वीकृति ने उस चुनाव के परिणाम को भौतिक रूप से बदल दिया जिसमें प्रतिवादी को निर्वाचित घोषित किया गया था।अपनी चुनाव याचिका में याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क था कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के अमेठी निर्वाचन क्षेत्र में एक साथ नामांकन दाखिल किया था और उनकी दोषसिद्धि और अपीलों के लंबित होने के बारे में एक ही जानकारी के प्रकटीकरण के बावजूद, उनका नामांकन वहां स्वीकार कर लिया गया था।इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि 2 अलग-अलग मापदंड लागू नहीं किए जा सकते हैं और किसी भी मामले में, जब तक कारावास की सजा निलंबित है,

जी.

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 (3) के तहत अयोग्यता को आकर्षित नहीं किया जा सकता है।

10. इस स्तर पर यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता ने एक और निर्वाचन क्षेत्र वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया और उसी कारण से उक्त निर्वाचन क्षेत्र में भी उनका नामांकन खारिज कर दिया गया।इसलिए, उन्होंने वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव के संबंध में 2019 की चुनाव याचिका संख्या 3 में एक और चुनाव याचिका दायर की।

11. ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों चुनाव याचिकाओं में उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा बहुत सारी खामियां देखी गईं।दोनों चुनाव याचिकाओं में पाई गई खामियां कमोबेश समान थीं।लेकिन जहां तक 2019 की चुनाव याचिका संख्या 4 का संबंध है, जिसमें से वर्तमान एसएलपी उत्पन्न होती है, रजिस्ट्री ने एक अतिरिक्त दोष को नोट किया, अर्थात् याचिकाकर्ता की प्रार्थना अधूरी थी।

ग

12. इसलिए, दोनों चुनाव याचिकाओं को बिना गिनती किए अदालत के समक्ष रखा गया था।हालाँकि, न्यायालय ने दिनांक 1 के आदेश द्वारा चुनाव याचिकाओं को इस शर्त के अधीन क्रमांकित करने का निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को दोषों के उपचार के प्रश्न पर तर्कों को संबोधित करना चाहिए।इसके बाद, चुनाव आयोग, संबंधित निर्वाचन अधिकारियों और संबंधित लौटे उम्मीदवारों को नोटिस जारी किए गए।

डी.

ई.

13. इस स्तर पर यह ध्यान रखना प्रासंगिक हो सकता है कि यह तथ्य कि याचिकाकर्ता को 2 स्वतंत्र आपराधिक मामलों में दोषी ठहराया गया था और उनमें से प्रत्येक मामले में 3 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी और यह तथ्य कि हालांकि दोनों मामलों में सजा का निष्पादन निलंबित कर दिया गया था, दोषसिद्धि को निलंबित नहीं किया गया था, सभी को याचिकाकर्ता ने स्वयं स्वीकार किया था।याचिकाकर्ता का मामला यह था कि यह पर्याप्त है यदि एक अपीलीय/पुनरीक्षण अदालत ने सजा को निलंबित कर दिया हो न कि दोषसिद्धि को।14. याचिकाकर्ता के उपरोक्त रुख को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने आई. डी. 1 पर एक प्रारंभिक मुद्दा तैयार किया कि क्या चुनाव याचिकाएं विचारणीय थीं, जब अपील या संशोधन में दोषसिद्धि को निलंबित नहीं किया गया था।उच्च न्यायालय ने चुनाव याचिकाओं में पाए गए दोषों के उपचार से संबंधित प्रश्न के साथ-साथ इस प्रारंभिक मुद्दे पर भी विचार करने का निर्णय लिया।

च

जी.

15. इसके बाद, उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील और लौटे उम्मीदवारों के विद्वान वकील को सुना और ए पारित किया।

दोनों चुनाव याचिकाओं को 2 आधारों पर अस्वीकार करते हुए 31.10.2019 दिनांकित एक आदेश अर्थात्:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

(i) कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 86 (1) के संदर्भ में चुनाव याचिकाओं में लाइलाज खामियां थीं; और

((ii) कि याचिकाकर्ता को संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ई) के साथ पठित अधिनियम की धारा 8 (3) में निहित अवरोधों को देखते हुए अयोग्य घोषित किया गया था।

16. 2019 की चुनाव याचिका संख्या 3 और 4 में 31.10.2019 पर पारित सामान्य आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने 2020 की SLP (C) डायरी No.4200 और 2020 की SLP (C) No.10678 दायर की।2019 की चुनाव याचिका संख्या 3 में आदेश से उत्पन्न 2020 की एसएलपी (सी) डायरी No.4200 में एसएलपी को 02.11.2020 पर गैर-अभियोजन के लिए खारिज कर दिया गया था।2019 की चुनाव याचिका संख्या 4 से उत्पन्न वर्तमान एस. एल. पी. इसके बाद सुनवाई के लिए आई।

ग

डी.

17. जैसा कि ऊपर बताया गया है, याचिकाकर्ता की चुनाव याचिका को 2 आधारों पर खारिज कर दिया गया था, अर्थात् (i) इसमें लाइलाज दोष थे; और (ii) कि किसी भी मामले में, याचिकाकर्ता को अयोग्यता का सामना करना पड़ा।आइए अब हम इन 2 मुद्दों के संबंध में उच्च न्यायालय के निष्कर्षों की शुद्धता की जांच करें।

ई.

मुद्दा**-1 (**दोषों की असाध्यता**)**

18. पहले मुद्दे पर, उच्च न्यायालय ने कहा कि चुनाव याचिका में कुछ दोष धारा 81 और 82 द्वारा कवर किए गए हैं और सी. पी. सी. के आदेश VI, नियम 15 के साथ पठित धारा 83 (1) (सी) के संदर्भ में किसी भी सत्यापन की कोई झलक नहीं है। उच्च न्यायालय ने माना कि 3 दोष थे जो लाइलाज थे।वे थेः

च

(i) याचिकाकर्ता ने चुनाव याचिका के सत्यापन के घोषणा भाग में हस्ताक्षर नहीं किए हैं;

((ii) सत्यापन भाग में, अनुलग्नकों, शपथपत्रों और याचिकाओं के संबंध में, यह कहा गया है कि अनुलग्नकों, शपथपत्रों और याचिकाओं के बजाय सूचकांक का सत्यापन किया गया है।

जी.

(iii) याचिकाकर्ता द्वारा अनिवार्य रूप से अनुलग्नकों का सत्यापन नहीं किया जाता है और सत्यापन के बजाय, अनुलग्नकों को याचिकाकर्ता और वकील द्वारा सही प्रतियों के रूप में प्रमाणित किया जाता है।

एच.

19. उपरोक्त 3 दोषों के अलावा, जिन्हें उच्च न्यायालय ने दोनों चुनाव याचिकाओं में लाइलाज माना, उच्च न्यायालय ने कहा कि 2019 की चुनाव याचिका संख्या 4 में मांगी गई राहत भी अधूरी और अर्थहीन थी।चुनाव याचिका में की गई प्रार्थना (ए)

"एर्नाकुलम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 5 वें प्रतिवादी के चुनाव की घोषणा करना था।"वास्तव में इसका कोई मतलब नहीं था, जब तक कि

उसमें "शून्य" शब्द जोड़ा गया था।चूंकि प्रार्थना (ए) में "शून्य" शब्द नहीं था, इसलिए उच्च न्यायालय ने सोचा कि चुनाव याचिका तैयार की गई थी और अनौपचारिक तरीके से दायर की गई थी।इसके साथ, यह तथ्य भी था कि चुनाव याचिका में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ गंभीर प्रकृति के कुछ आरोप भी थे।इसलिए, उच्च न्यायालय ने सोचा कि याचिकाकर्ता का उचित सत्यापन और प्रार्थना के बिना चुनाव याचिका के माध्यम से तीसरे पक्ष की प्रतिष्ठा को खराब करने का दुर्भावनापूर्ण इरादा था और यह याचिकाकर्ता के लिए बाद के चरण में दलीलों को स्वीकार करने से बचने के लिए एक चाल के अलावा और कुछ नहीं है।

ग

20. दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय के साथ जो बात भारी थी वह थीः- ((i) उचित सत्यापन का अभाव;

डी.

((ख) अपूर्ण प्रार्थना; और

(iii) पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ गंभीर प्रकृति के आरोप लगाए गए हैं, जिसमें दलीलों को स्वीकार न करने का संभावित लाभ उठाया गया है।यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि ऊपर बताए गए दोष लाइलाज हैं, उच्च न्यायालय ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 86 के साथ पठित धारा 81,82 और 83 पर भरोसा किया।आइए अब वैधानिक प्रावधानों के संबंध में उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण की शुद्धता का परीक्षण करें।21. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अध्याय-II, भाग-VI में "उच्च न्यायालय में चुनाव याचिकाओं को प्रस्तुत करने" के प्रावधान हैं और अध्याय-III में "चुनाव याचिकाओं के परीक्षण" के प्रावधान हैं।धारा 86 (1), जिसके साथ अध्याय-III शुरू होता है, उच्च न्यायालय को एक चुनाव याचिका को खारिज करने के लिए बाध्य करता है जो धारा 81 या धारा 82 या धारा 117 के प्रावधानों का पालन नहीं करती है।धारा 86 (1) के तहत एक चुनाव याचिका को खारिज करना धारा 86 (1) के तहत स्पष्टीकरण द्वारा धारा 98 (ए) के तहत एक निर्णय माना जाता है।धारा 98 3 प्रकार के आदेशों के बारे में बताती है जिन्हें चुनाव याचिका के मुकदमे के समापन पर पारित किया जा सकता है।वे इस प्रकार हैंः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ई.

च

जी.

((i) निर्वाचन याचिका को खारिज करना; या

((ii) एक घोषणा कि वापस लौटे उम्मीदवार का चुनाव अमान्य है; या

एच.

(iii) एक घोषणा न केवल यह कि लौटे उम्मीदवार का चुनाव अमान्य है, बल्कि यह भी कि याचिकाकर्ता या कोई अन्य उम्मीदवार विधिवत चुना गया था।

22. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धारा 98 के तहत उपरोक्त 3 विभिन्न प्रकार के निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा मुकदमे के समापन पर ही दिए जा सकते हैं।लेकिन धारा 86 (1) के तहत बर्खास्तगी एक है

अपवाद।धारा **86 (1)** से धारा **98 (**ए**)** के तहत स्पष्टीकरण में दिए गए संदर्भ से यह स्पष्ट होता है कि उच्च न्यायालय की उस चुनाव याचिका को खारिज करने की शक्ति**,** जो धारा **81** या धारा **82** या धारा **117** के प्रावधानों का पालन नहीं करती है**,** पूर्व**-**परीक्षण चरण में उपलब्ध है।

ग

23. जैसा कि पहले कहा गया है, उच्च न्यायालय में चुनाव याचिकाओं को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पर भाग-VI के अध्याय-II में आने वाली धारा 80 से 84 में विचार किया गया है। हमारे वर्तमान उद्देश्य के लिए, धारा 81 (3), 83 (1), 83 (2) और 84 प्रासंगिक हैं।

24. धारा 81 (3) प्रत्येक चुनाव याचिका के साथ उतनी ही प्रतियां होना अनिवार्य बनाती है जितनी उत्तरदाता हैं।याचिका की सही प्रति होने के लिए ऐसी प्रत्येक प्रति को याचिकाकर्ता द्वारा अपने हस्ताक्षर के तहत सत्यापित किया जाना आवश्यक है।धारा 81 (3) इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

डी.

“81. याचिकाओं की प्रस्तुति।- (1)....

ई.

(2) हटा दिया गया।

(3) प्रत्येक चुनाव याचिका के साथ उतनी ही प्रतियां होंगी जितनी याचिका में उल्लिखित प्रतिवादी हैं, और ऐसी प्रत्येक प्रति को याचिकाकर्ता द्वारा अपने हस्ताक्षर के तहत याचिका की सही प्रति होने के लिए सत्यापित किया जाएगा।"

च

25. धारा 83 के बारे में बताती हैः- ((i) चुनाव याचिका की विषय-वस्तु;

((ii) चुनाव याचिका पर हस्ताक्षर और सत्यापन; और (iii) चुनाव याचिका की किसी भी अनुसूची या अनुलग्नक का हस्ताक्षर और सत्यापन।

जी.

धारा 83 इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“83. याचिका की सामग्री।—(1) एक चुनाव याचिका-(ए) में उन भौतिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होगा जिन पर याचिकाकर्ता भरोसा करता है;

एच.

(ख) याचिकाकर्ता द्वारा आरोप लगाए गए किसी भी भ्रष्ट आचरण का पूरा विवरण देगा, जिसमें ऐसी भ्रष्ट प्रथा करने के लिए कथित पक्षों के नामों का यथासंभव पूरा बयान और ऐसी प्रत्येक प्रथा के आयोग की तारीख और स्थान शामिल हैं; और

(ग) याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और अभिवचनों के सत्यापन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में निर्धारित तरीके से सत्यापित किया जाएगाः

[बशर्ते कि जहां याचिकाकर्ता किसी भी भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाता है, याचिका के साथ इस तरह के भ्रष्ट आचरण के आरोप और उसके विवरण के समर्थन में निर्धारित प्रपत्र में एक हलफनामा भी होगा।]

ग

(2) याचिका की किसी भी अनुसूची या अनुलग्नक पर भी याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और याचिका के समान ही सत्यापित किया जाएगा।"26. धारा 84 उन राहतों/राहतों को इंगित करती है जिनका चुनाव याचिका में दावा किया जा सकता है।वह इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

डी.

"84. राहत जिसका याचिकाकर्ता द्वारा दावा किया जा सकता है।—ए.

याचिकाकर्ता, एक घोषणा का दावा करने के अलावा कि सभी या किसी भी लौटे उम्मीदवार का चुनाव अमान्य है, एक और घोषणा का दावा कर सकता है कि वह स्वयं या किसी अन्य उम्मीदवार को विधिवत चुना गया है।"

ई.

27. चुनाव याचिका के मुकदमे में, उच्च न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत मुकदमों के मुकदमे के लिए लागू प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य है, जितना हो सके।यह धारा 87 (1) के आधार पर है।भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के प्रावधान धारा 87 (2) के तहत सभी चुनाव याचिकाओं के मुकदमे के लिए हर तरह से लागू किए गए हैं।धारा 87 इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

च

"87. उच्च न्यायालय के समक्ष प्रक्रिया।—(1) विषय के अधीन

इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक चुनाव याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा मुकदमों के मुकदमे के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के तहत लागू प्रक्रिया के अनुसार, जितना हो सके, मुकदमा चलाया जाएगाःबशर्ते कि उच्च न्यायालय को लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से किसी भी गवाह या गवाह से पूछताछ करने से इनकार करने का विवेकाधिकार होगा, यदि यह राय है कि ऐसे गवाह या गवाहों का साक्ष्य याचिका के निर्णय के लिए सामग्री नहीं है या कि ए पक्षकार

जी.

एच.

647

सरिता एस. नायर वी. हिबी ईडन [वी. रामसुब्रमणियन, जे.] ए.

ऐसे गवाह या गवाहों को प्रस्तुत करना तुच्छ आधारों पर या कार्यवाही में देरी करने की दृष्टि से ऐसा करना है।

(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) के प्रावधान, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, एक चुनाव याचिका के मुकदमे के लिए सभी मामलों में लागू होते हैं।"

28. यह ध्यान देने योग्य है कि अधिनियम दो अलग-अलग खंडों में रखता है -

((i) निर्वाचन याचिकाओं की प्रस्तुति; और (ii) निर्वाचन याचिकाओं का विचारण।

चुनाव याचिकाओं की प्रस्तुति अध्याय-II में आने वाली धारा 80 से 84 के अंतर्गत आती है। चुनाव याचिकाओं की सुनवाई धारा 86 से 107 तक के दायरे में आती है और वे अध्याय-III में निहित हैं।

ग

29. यह विभाजन, महत्वपूर्ण हो सकता है, जैसा कि 2 तथ्यों से देखा जा सकता है अर्थात्:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

डी.

(i) कि धारा 80 के तहत किसी भी चुनाव पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।

के अनुसार प्रस्तुत एक चुनाव याचिका को छोड़कर

"इस भाग" के प्रावधान; और

((ii) कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अध्याय-II के प्रावधानों का सीमित संदर्भ केवल उन स्थानों पर दिया गया है जहां हस्ताक्षर और सत्यापन का उल्लेख किया गया है।

ई.

30. जहाँ तक चुनाव याचिकाओं की प्रस्तुति का संबंध है, अध्याय-II एक पूर्ण संहिता है।ऐसा इसलिए है क्योंकि, अध्याय-II के विभिन्न प्रावधानों में चुनाव याचिका प्रस्तुत करने के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है, जैसे किः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

च

(i) वह व्यक्ति (ओं) जो फाइल करने का हकदार है/हैं;

((ii) ऐसे व्यक्ति (व्यक्ति) जिन्हें प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जा सकता है; (iii) विभिन्न प्रकार की राहत जो मांगी जा सकती हैं; (iv) वे आधार जिनके आधार पर ऐसी राहत मांगी जा सकती है; (v) चुनाव याचिका दायर करने के लिए सीमा की अवधि; (vi) वह न्यायालय जहां याचिका दायर की जा सकती है; (vii) ऐसी याचिका की सामग्री; और

जी.

(viii) चुनाव याचिका का प्रारूप और जिस तरीके से उस पर हस्ताक्षर और सत्यापन किया जाना है।

एच.

31. अध्याय II में निहित कुछ नियम लचीले और अलंघनीय हैं।लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग ऐसा न करें।चुनाव याचिका पर हस्ताक्षर करने और सत्यापित करने का तरीका एक लचीला नियम है या नहीं, यह यहां देखा जा सकता है।

32. धारा 83 (1) (सी) आदेश देती है कि एक चुनाव याचिका पर याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और अभिवचनों के सत्यापन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता में निर्धारित तरीके से सत्यापित किया जाएगा।याचिका पर हस्ताक्षर करना और याचिका का सत्यापन करना 2 अलग-अलग पहलू हैं।जबकि आदेश VI, नियम 14 याचिका पर हस्ताक्षर करने से संबंधित है, आदेश VI, नियम 15 अभिवचन के सत्यापन से संबंधित है।नियम 14 में कहा गया है कि प्रत्येक अभिवचन पर पक्ष के साथ-साथ वादी, यदि कोई हो, द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।लेकिन परंतुक नक्काशी

ग

एक अपवाद यह कहते हुए कि जहां कोई पक्ष अनुपस्थिति के कारण या अन्य अच्छे कारण के लिए अभिवचन पर हस्ताक्षर करने में असमर्थ है, वहां उस पर हस्ताक्षर करने के लिए उसके द्वारा विधिवत अधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जा सकते हैं या

उसकी ओर से मुकदमा करें या बचाव करें।आदेश VI, R. 14 इस प्रकार हैः- "14. हस्ताक्षर करने का अनुरोध।-प्रत्येक अभिवचन पर पक्ष और उसके अभिवादक (यदि कोई हो) द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगेः

डी.

बशर्ते कि जहां कोई पक्ष अनुपस्थिति के कारण या अन्य अच्छे कारण के लिए अभिवचन करता है; अभिवचन पर हस्ताक्षर करने में असमर्थ है, वहां उस पर हस्ताक्षर करने या अपनी ओर से मुकदमा करने या बचाव करने के लिए उसके द्वारा विधिवत अधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जा सकते हैं।"

ई.

33. आदेश VI, आर. 15 जो अभिवचनों के सत्यापन के बारे में बताता है, निम्नानुसार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"15. अभिवचनों का सत्यापन।- (1) अन्यथा दिए गए रूप में सहेजें

तत्काल लागू किसी भी कानून द्वारा, प्रत्येक अभिवचन का पक्षकार द्वारा या अभिवचन करने वाले पक्षों में से किसी एक द्वारा या मामले के तथ्यों से परिचित होने के लिए अदालत की संतुष्टि के लिए साबित किए गए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सत्यापन किया जाएगा।

च

(2) सत्यापन करने वाला व्यक्ति अभिवचन के क्रमांकित अनुच्छेदों के संदर्भ में निर्दिष्ट करेगा कि वह अपने ज्ञान से क्या सत्यापित करता है और प्राप्त और सत्य मानी जाने वाली जानकारी पर क्या सत्यापित करता है।

जी.

(3) सत्यापन को बनाने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और उस तारीख और स्थान को बताएगा जिस पर उस पर हस्ताक्षर किए गए थे।(4) अभिवचन का सत्यापन करने वाला व्यक्ति अपने अभिवचनों के समर्थन में एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत करेगा।"

एच.

649

सरिता एस. नायर वी. हिबी ईडन [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

क.

34. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आदेश VI के नियम 15 का उप-नियम (1) भी

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले अभिवचन के सत्यापन की अनुमति देता है

पक्षकार के अभिवचन की तुलना में, बशर्ते कि यह न्यायालय की संतुष्टि के लिए साबित हो कि ऐसा अन्य व्यक्ति मामले के तथ्यों से परिचित था।35. धारा 86 (1) उच्च न्यायालय को एक चुनाव याचिका को खारिज करने का अधिकार देती है जो धारा 81, धारा 82 या धारा 117 के प्रावधानों का पालन नहीं करती है और इसमें धारा 83 को इसके दायरे में शामिल नहीं किया गया है।इसलिए, यह प्रश्न कि क्या एक चुनाव याचिका जो धारा 83 की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है, धारा 86 (1) के तहत पूर्व-परीक्षण चरण में खारिज की जा सकती है या नहीं, इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए बार-बार आया है।हम इस मामले

में विशेष रूप से धारा 83 की उप-धारा (1) के खंड (सी) की आवश्यकता और उसका पालन करने में विफलता के परिणाम के बारे में चिंतित हैं।

ग

36. मुरारका में राधे श्याम राम कुमार बनाम रूप सिंह

राठौर 1, चुनाव याचिका की स्थिरता पर प्रारंभिक आपत्ति इस आधार पर उठाई गई थी कि सत्यापन दोषपूर्ण था।सत्यापन में कहा गया कि याचिका के कुछ अनुच्छेदों में किए गए कथन याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी के लिए सही थे और कुछ अन्य अनुच्छेदों में किए गए कथन कानूनी और अन्य स्रोतों से प्राप्त सलाह और जानकारी पर सही साबित हुए थे।ऐसा कोई बयान नहीं था कि चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त सलाह और जानकारी को वह सही मानते थे।चूंकि यह मामला 1966 के अधिनियम 47 के तहत अधिनियम के संशोधन से पहले उत्पन्न हुआ था, इसलिए चुनाव याचिका पर न्यायाधिकरण द्वारा विचार किया गया था। न्यायाधिकरण ने सत्यापन में दोष को एक उपचार योग्य दोष माना।न्यायाधिकरण के विचार को बरकरार रखा गया

डी.

ई.

इस न्यायालय द्वारा मुरारका राधे श्याम राम कुमार **(**ऊपर**)** में।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि **"**इस तर्क को स्वीकार करना असंभव है कि धारा **83** की उप**-**धारा **(1)** के खंड **(**सी**)** द्वारा आवश्यक अभिवचनों के सत्यापन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता में निर्धारित तरीके से किए जाने वाले सत्यापन में कोई दोष याचिका की स्थिरता के लिए घातक है।**"**

च

37. मुरारका में निर्धारित अनुपात को इस न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने एफ. ए. सापा बनाम में दोहराया था। सिंगोरा 2 का मानना है कि

जी.

"चुनाव याचिका के सत्यापन में केवल दोष याचिका की रखरखाव क्षमता के लिए घातक नहीं है और याचिका नहीं हो सकती है

1 आकाशवाणी (1964) एससी 1545 2 (1991) 3 एससीसी 375 ए

एच.

650 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 13 एस. सी. आर.

केवल उसी जमीन पर फेंक दिया गया।एफ**.** ए**.** सापा में यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि **"**चूंकि धारा **83** धारा **86 (1)** में उल्लिखित तीन प्रावधानों में से एक नहीं है**,** इसलिए आमतौर पर इसे तब तक अनिवार्य नहीं माना जा सकता जब तक कि इसे धारा **81** के तहत याचिका का एक अभिन्न अंग नहीं दिखाया जाता है।**"**

38. एफ. ए. सापा (ऊपर) में इस न्यायालय ने रिपोर्ट के पैराग्राफ 20 में दो प्रश्न तैयार किए, जो विचार के लिए उत्पन्न हुए। पहला सवाल यह था कि दोषपूर्ण या अपूर्ण सत्यापन का परिणाम क्या है।उक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए, इस न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धांत तैयार किएः–

(i) सत्यापन में एक दोष, यदि कोई हो, ठीक किया जा सकता है।

ग

((ii) यह आवश्यक नहीं है कि याचिका के आधार पर सत्यापन खंड या उसके साथ दिए गए हलफनामे में उन कथनों या आरोपों के संबंध में जानकारी के आधार या स्रोतों का खुलासा किया जाए जो ऐसी जानकारी पर आधारित हैं जो सच मानी जाती हैं।

डी.

((ग) यदि प्रत्यर्थी ऐसे अभिकथनों या आरोपों के संबंध में बेहतर विवरण चाहता है, तो वह उसी की मांग कर सकता है, जिस स्थिति में याचिकाकर्ता को उसी की आपूर्ति करने की आवश्यकता हो सकती है और

(iv) निर्धारित प्रपत्र 25 में शपथ-पत्र में दोष को तब तक ठीक किया जा सकता है जब तक कि शपथ-पत्र याचिका का एक अभिन्न अंग न बन जाए, इस मामले में भौतिक तथ्यों से संबंधित दोष को धारा 81 (3) के तहत, सीमा के अधीन, निपटाना होगा जैसा कि पहले संकेत दिया गया था।"

ई.

39. एफ. ए. सापा (ऊपर) में यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि यद्यपि भ्रष्ट आचरण से जुड़े आरोप को बहुत गंभीरता से देखा जाना चाहिए और उच्च न्यायालय को धारा 83 की आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

च

इससे पहले कि पक्षकार मुकदमे में जाएँ, दोषपूर्ण का दोषपूर्ण सत्यापन

शपथपत्र घातक नहीं हो सकता है।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय को पक्षकारों पर मुकदमा चलाने से पहले अपना अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।इस निर्णय के बाद आर. पी. मोइदुट्टी बनाम मामले में एक और तीन सदस्यीय पीठ ने फैसला सुनाया। पी. टी

जी.

कुंजू मोहम्मद 3. 40.सरदार हरचरण सिंह बरार बनाम सुख दर्शन सिंह 4 के मामले में, इस न्यायालय ने कहा कि हालांकि धारा 83 (1) का परंतुक इस प्रकार है -

3 (2000) 1 एससीसी 481 4 (2004) 11 एससीसी 196 ए

एच.

651

सरिता एस. नायर वी. हिबी ईडन [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

एक अनिवार्य प्रपत्र**,** जिसमें एक हलफनामे के साथ भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाने वाली याचिका की आवश्यकता होती है**,** आवश्यकता का पालन करने में विफलता एक चुनाव याचिका को खारिज करने का आधार नहीं हो सकती है।

धारा **86 (1)** के तहत सीमा में।न्यायालय ने दोहराया कि धारा **83** के प्रावधानों का पालन न करने से धारा **86 (1)** द्वारा परिकल्पित परिणाम नहीं होते हैं और सत्यापन और शपथ पत्र में दोष एक उपचार योग्य दोष है।निर्णय का निम्नलिखित भाग महत्वपूर्ण हैः

“14. XXXX

इसलिए, किसी चुनाव याचिका को अधिनियम की धारा 83 (1) या (2) या इसके प्रावधान के प्रावधानों का कथित रूप से पालन न करने के लिए अधिनियम की धारा 86 के तहत सीमित रूप से खारिज नहीं किया जा सकता है।द.

ग

सत्यापन और शपथ पत्र में दोष एक ठीक होने योग्य दोष है।

कथित रूप से "दोषपूर्ण" हलफनामे से क्या अन्य परिणाम हो सकते हैं, यदि कोई हो, तो चुनाव याचिका के मुकदमे में निर्णय लेने की आवश्यकता है, लेकिन अधिनियम की धारा 86 (1) को ऐसे मामले की ओर आकर्षित नहीं किया जा सकता है।"

डी.

41. के**.** के**.** रामचंद्रन मास्टर बनाम। एम**.** वी**.** श्रेयमकुमार **5,** इस न्यायालय ने एफ**.** ए**.** सापा **(**ऊपर**)** और सरदार हरचरण सिंह बरार **(**ऊपर**)** का अनुसरण करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि दोषपूर्ण सत्यापन ठीक करने योग्य है।अदालत ने

पुनः दोहराया कि एक दोषपूर्ण शपथ पत्र से उत्पन्न होने वाले परिणामों का निर्णय एक चुनाव याचिका के मुकदमे में किया जाना आवश्यक है और ऐसी चुनाव याचिका को धारा 86 (1) के तहत खारिज नहीं किया जा सकता है।42. यद्यपि उपरोक्त सभी निर्णयों पर दो लोगों ने ध्यान दिया -

ई.

पी**.** ए**.** मोहम्मद रियास बनाम में सदस्य पीठ। एम**.** के**.** राघवन **6,**

उस मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि उचित सत्यापन के अभाव में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि धारा 81 के प्रावधान पूरे नहीं हुए हैं और चुनाव याचिका के लिए कार्रवाई का कारण अधूरा रहेगा।इस तरह का दृष्टिकोण पिछले पैराग्राफ में संदर्भित निर्णयों की श्रृंखला के अनुरूप नहीं प्रतीत होता है और इसलिए पी. ए. मोहम्मद रियास को कानून को सही ढंग से निर्धारित करने के लिए नहीं लिया जा सकता है।पी. ए. मोहम्मद रियास (ऊपर) में निर्णय के अंतिम पैराग्राफ से ऐसा प्रतीत होता है कि अदालत को इस तथ्य के कारण उस मामले में इतना चरम दृष्टिकोण लेने के लिए प्रेरित किया गया था कि याचिकाकर्ता को उसमें दोष को ठीक करने का अवसर मिला था, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहा।

च

जी.

5 (2010) 7 एससीसी 428 6 (2012) 5 एससीसी 511 ए

एच.

इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि पी. ए. मोहम्मद रियास (ऊपर) ने इसके विशिष्ट तथ्यों को बदल दिया है।किसी भी मामले में पी. ए. मोहम्मद रियास को G.M.Siddeshwar बनाम में खारिज कर दिया गया था। प्रसन्ना कुमार 7 इस सवाल पर कि क्या एक चुनाव याचिकाकर्ता के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VI नियम 15 (4) के संदर्भ में एक हलफनामा दायर करना अनिवार्य है, जो एक हलफनामे के अलावा चुनाव याचिका में किए गए कथनों के समर्थन में है (ऐसे मामले में जहां लौटे उम्मीदवार के खिलाफ भ्रष्ट प्रथाओं का सहारा लेने का आरोप लगाया गया है) जैसा कि धारा 83 (1) के प्रावधान द्वारा आवश्यक है।वास्तव में, यहां तक कि एक दोषपूर्ण हलफनामा दाखिल करना, जो नियमों द्वारा निर्धारित प्रपत्र 25 में नहीं है, जी. एम. सिद्धेश्वर में एक उपचार योग्य दोष माना गया था और याचिकाकर्ता को दोष को ठीक करने के अवसर का हकदार माना गया था।

ग

43. उपरोक्त चर्चा का परिणाम यह है कि एक दोषपूर्ण सत्यापन एक उपचार योग्य दोष है।चुनाव याचिका को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि सत्यापन दोषपूर्ण है।

44. इसलिए, उच्च न्यायालय ने ऊपर पैराग्राफ 18 में उल्लिखित 3 दोषों को लाइलाज ठहराते हुए एक गंभीर त्रुटि की।दोषों का इलाज किया जा सकता है और जैसा कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा सही तर्क दिया गया है, दोषों को ठीक करने का अवसर दिया जाना चाहिए था।इसके बजाय, देखे गए दोषों को देखते हुए, चुनाव याचिका को बिना संख्या के अदालत के समक्ष रखा गया था।न्यायालय ने दोषों के उपचार पर दलीलों के अधीन याचिका को क्रमांकित करने का निर्देश दिया।इसके बाद चुनाव याचिका में प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए गए और अंत में दोनों पक्षों को सुनने के बाद इसमें विवादित आदेश पारित किया गया।उच्च न्यायालय ने उक्त प्रक्रिया का पालन करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए किसी भी नियम पर भी भरोसा नहीं किया।

डी.

ई.

45. केरल उच्च न्यायालय, 1971 के नियमों में अध्याय XVI में नियम Nos.207 से लेकर 219 तक के नियमों का एक समूह शामिल है। ये नियम चुनाव याचिकाओं की स्थापना और परीक्षण की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं।इन नियमों का नियम 210 इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

च

“210.समन।-पंजीकरण के तुरंत बाद, याचिका को ऐसे आदेशों के लिए न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा जिन्हें अधिनियम की धारा 86 के तहत पारित करने की आवश्यकता हो सकती है। यदि अधिनियम की धारा 86 (1) के तहत याचिका खारिज नहीं की जाती है, तो न्यायाधीश के निर्देश पर प्रतिवादियों को एक निश्चित तिथि पर उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने और दावे का जवाब देने के लिए समन जारी किया जाएगा।

जी.

7 (2013) 4 एससीसी 776 ए

एच.

653

सरिता एस. नायर वी. हिबी ईडन [वी. रामसुब्रमणियन, जे.] ए.

याचिका में किए गए दावे।ऐसी तारीख समन जारी होने की तारीख से तीन सप्ताह से पहले की नहीं होगी।समन लिखित बयान और मुद्दों के निपटारे के लिए होगा और उच्च न्यायालय या जिला न्यायालयों के प्रक्रिया कर्मचारियों द्वारा उत्तरदाताओं को दिया जाएगा, सभी कदम अत्यधिक अभियान के साथ सेवा को प्रभावी बनाने के लिए उठाए जा रहे हैं।"

46. जिस तरह से नियम 210 को शब्दबद्ध किया गया है, उससे यह आभास होता है कि धारा 86 (1) के तहत आदेश पारित करने के लिए निर्वाचन याचिका को पंजीकृत होने के तुरंत बाद न्यायाधीश के समक्ष रखा जाना चाहिए।यदि याचिका धारा 86 (1) के तहत खारिज नहीं की जाती है, तो न्यायाधीश के निर्देश पर प्रत्यर्थियों को समन जारी किया जाना चाहिए।जिस मामले में विद्वत नामित न्यायाधीश, जिनके समक्ष चुनाव याचिका दोषपूर्ण के रूप में सूचीबद्ध की गई थी, ने प्रतिवादियों को समन जारी करने का फैसला किया, जिसमें उनसे दोषों के उपचार के साथ-साथ याचिका की स्थिरता पर बहस करने का आह्वान किया गया।नियमों में यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि विद्वत नामित न्यायाधीश दोषों को ठीक करने के लिए याचिकाकर्ता को याचिका वापस करने में असमर्थ था।

ग

डी.

47. केरल उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को मंजूरी नहीं दी जा सकती है।उच्च न्यायालय का यह सोचना गलत था कि चुनाव याचिका का दोषपूर्ण सत्यापन, विशेष रूप से पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने के बाद, बाद के चरण में

दलीलों को अस्वीकार करने के लिए चुनाव याचिकाकर्ता की योजना का एक संकेत था।यदि केवल उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को सत्यापन में खामियों को दूर करने का अवसर दिया होता और यदि इस तरह के अवसर के बावजूद, याचिकाकर्ता उचित सत्यापन करने में विफल रहा होता, तो उच्च न्यायालय तब याचिकाकर्ता को लुका-छिपी करने का दोषी ठहरा सकता था।दोषों को ठीक करने का अवसर देने में उच्च न्यायालय की विफलता अनुचित है।48. याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना में दोष भी एक उपचार योग्य दोष था, क्योंकि "शून्य के रूप में" शब्दों को शामिल करने के लिए छोड़ दिया गया था, जिससे प्रार्थना का अस्तित्व, अर्थहीन हो गया था।यह सच है कि चुनाव याचिकाकर्ता को एक उचित राहत को शामिल करने और एक उचित सत्यापन करने में अधिक सावधान और मेहनती होना चाहिए था।लेकिन याचिकाकर्ता का कोई मकसद नहीं माना जा सकता था, केवल इसलिए कि उसने किसी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे।इसलिए हम पहले मुद्दे पर मानते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा किए गए सत्यापन और प्रार्थना में दोषों का इलाज किया जा सकता था और याचिकाकर्ता को दोषों को ठीक करने का अवसर दिया जाना चाहिए था।

ई.

च

जी.

एच.

654 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 13 एस. सी. आर.

मुद्दा**-2 (**आपराधिक अदालत द्वारा सजा का प्रभाव**)**

49. यह हमें दो आपराधिक मामलों में याचिकाकर्ता पर लगाए गए दंड और केवल अपीलीय/पुनरीक्षण न्यायालयों द्वारा दी गई सजा के निष्पादन के निलंबन के संबंध में अगले मुद्दे पर ले जाता है।50. मान लीजिए कि याचिकाकर्ता को दो स्वतंत्र आपराधिक मामलों में कम से कम दो साल के कारावास की सजा दी गई थी।इसलिए, उसका मामला अधिनियम की धारा 8 (3) के अंतर्गत आता है।

51. एक मामले में अपीलीय न्यायालय और दूसरे मामले में पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा जो निलंबित किया गया था, वह केवल कारावास की सजा का निष्पादन था न कि दोषसिद्धि।याचिकाकर्ता का तर्क है कि सजा का निलंबन उसे धारा 8 (3) की प्रयोज्यता से बचाने के लिए पर्याप्त था।

ग

52. लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते हैं।धारा 8 (3) इस प्रकार हैः

“कुछ अपराधों के लिए दोषसिद्धि पर अयोग्यता।- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

डी.

(1) ...

(2) ...

(3) किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए और कम से कम दो वर्ष के कारावास की सजा पाए व्यक्ति (उप-धारा (1) या उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी अपराध के अलावा) को इस तरह के दोषसिद्धि की तारीख से अयोग्य ठहराया जाएगा और उसकी रिहाई के बाद से छह साल की और अवधि के लिए अयोग्य ठहराया जाता रहेगा।"53. धारा 8 (3) के पठन से यह देखा जाता है कि यह दो पहलुओं से संबंधित है अर्थात् (i) अयोग्यता की शर्तें; और (ii) अयोग्यता की अवधि।अयोग्यता की शर्तें हैं (i) उप-धारा (1) और (2) में निर्दिष्ट अपराध के अलावा किसी अन्य अपराध के लिए दोषसिद्धि; और (ii) दो साल से कम के

कारावास की सजा।54. जहाँ तक अयोग्यता की अवधि का संबंध है, धारा 8 (3) में कहा गया है कि अयोग्यता दोषसिद्धि की तारीख से शुरू होगी।यह इन शब्दों के उपयोग से स्पष्ट हो जाता है "होगा

ई.

च

जी.

इस तरह की सजा की तारीख से अयोग्य ठहराया गया।यह कहने की आवश्यकता नहीं है

कि धारा 8 (3) में दिखाई देने वाले शब्द "तारीख" दोषसिद्धि की घटना को संदर्भित करते हैं और यह कार्योत्तर है।अयोग्यता जो दोषसिद्धि की तारीख से शुरू होती है, उसकी रिहाई की तारीख से छह साल की अवधि की समाप्ति तक जारी रहती है।

एच.

655

सरिता एस. नायर वी. हिबी ईडन [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

क.

55. दूसरे शब्दों में, दोषसिद्धि की तारीख वह है जो अयोग्यता की अवधि शुरू होने की तारीख निर्धारित करती है।हालाँकि, यह रिलीज़ की तारीख है जो उस तारीख को निर्धारित करती है जिस पर अयोग्यता का प्रभाव समाप्त हो जाएगा।

56. उस संदर्भ में देखने पर, यह स्पष्ट होगा कि सजा के निष्पादन का केवल निलंबन धारा 8 (3) की कठोरता को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

57. वास्तव में, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने बी. आर. कपूर बनाम मामले में निर्णय दिया। तमिलनाडु राज्य 8 कि कारावास की सजा को निलंबित करने वाले अपीलीय/पुनरीक्षण न्यायालय के आदेश को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए और उक्त प्रावधान के तहत, जो निलंबित किया गया है वह केवल सजा का निष्पादन है न कि सजा का।संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि सजा के निष्पादन के निलंबन से दोषसिद्धि में कोई बदलाव या प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसलिए ऐसा व्यक्ति धारा 8 (3) के तहत अयोग्य रहेगा।वास्तव में, बी. आर. कपूर (उपरोक्त) में एक व्यक्ति जिसका नामांकन अयोग्यता के आधार पर खारिज कर दिया गया था, उस पार्टी के नेता के रूप में चुना गया जिसने चुनावों में बहुमत हासिल किया और मुख्यमंत्री बना और इसलिए अनुच्छेद 164 को सेवा में लगाया गया।लेकिन इसे भी इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि एक व्यक्ति जिसे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराया गया था, वह अनुच्छेद 164 का रास्ता नहीं अपना सकता है।

ग

डी.

ई.

58. बी. आर. कपूर (ऊपर) में एक तर्क उठाया गया था कि संसद या विधानमंडलों के वर्तमान सदस्यों को अधिनियम की धारा 8 (4) द्वारा उनकी अपील या दोषसिद्धि के खिलाफ संशोधन के लंबित रहने के दौरान पद से हटाने के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की जाती है और यह कि यह संविधान के तहत समानता की गारंटी का उल्लंघन है, यदि चुनाव से पहले दोषी ठहराए जाने वाले व्यक्तियों के वर्ग को संसद या राज्य विधानमंडलों में चुने जाने के बाद दोषी ठहराए जाने वाले व्यक्तियों के वर्ग की तुलना में नुकसानदेह स्थिति में रखा जाता है।लेकिन संविधान पीठ ने बी. आर. कपूर (उपरोक्त) में इस तर्क को इस आधार पर खारिज कर दिया कि धारा 8 की उप-धारा (4) की संवैधानिक वैधता पर सवाल नहीं उठाया गया था।

च

जी.

59. संभवतः बी**.** आर**.** कपूर **(**रिपोर्ट के पैरा **38** और **39** में**)** में जो देखा गया था**,** उससे संकेत लेते हुए धारा **8 (4)** को चुनौती दी गई थी।

8 (2001) 7 एस. सी. सी. 331 ए

एच.

656

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 13 एस सी आर।

लिली थॉमस बनाम भारत संघ 9 में, इस आधार पर कि यह संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।उक्त प्रावधान को असंवैधानिक घोषित करते हुए, इस न्यायालय ने लिली थॉमस (उपरोक्त) में निर्णय दिया कि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य, जिसे तुच्छ दोषसिद्धि का सामना करना पड़ता है, उपचार से वंचित नहीं होगा।राम नारंग बनाम रमेश में निर्णयों पर ध्यान देना।

नारंग **10** और रविकांत एस**.** पाटिल बनाम सर्वभौमा एस**.** बागली **11,** यह

लिली थॉमस (ऊपर) में न्यायालय ने निर्णय दिया कि अपीलीय न्यायालय के पास संहिता की धारा 389 (1) के तहत दोषसिद्धि के साथ-साथ सजा पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त शक्तियां हैं और जहां भी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी गई है, अयोग्यता काम नहीं करेगी।

60. जिस तरह बी. आर. कपूर (ऊपर) में की गई टिप्पणियों ने लिली थॉमस (ऊपर) में अधिनियम की धारा 8 (4) को चुनौती दी, उसी तरह लिली थॉमस (ऊपर) में अपीलीय न्यायालय की दोषसिद्धि के साथ-साथ सजा के निष्पादन पर रोक लगाने की शक्ति के बारे में चर्चा ने एक और लड़ाई छेड़ दी।

ग

मुकदमेबाजी।लोक परहारी बनाम भारत के चुनाव आयुक्त **12** में**,**

याचिकाकर्ता ने एक घोषणा की मांग की कि अपीलीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर रोक लगाने से भी अयोग्यता समाप्त होने का प्रभाव नहीं पड़ेगा।याचिकाकर्ता का तर्क था कि कानून दोषसिद्धि पर रोक लगाने का प्रावधान नहीं करता है।लेकिन इस अदालत ने इस आधार पर चुनौती को खारिज कर दिया कि राम नारंग (ऊपर) और लिली थॉमस (ऊपर) के फैसलों ने इस संबंध में मुद्दे को जीत लिया।

डी.

61. इसलिए, प्रभावी रूप से, धारा 8 (3) के तहत अयोग्यता तब तक जारी रहेगी जब तक कि दोषसिद्धि पर कोई रोक नहीं है। हाथ में मामले में, याचिकाकर्ता दोषसिद्धि की रोक प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन केवल सजा के निष्पादन की रोक प्राप्त की। इसलिए उनके नामांकन को निर्वाचन अधिकारी ने वैध रूप से खारिज कर दिया।केवल इसलिए कि अमेठी निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन अधिकारी ने इस तथ्य को नजरअंदाज करने में गलती की है, याचिकाकर्ता वैधानिक प्रिस्क्रिप्शन के खिलाफ विरोध का अनुरोध नहीं कर सकता है।

ई.

च

निष्कर्ष

62. इसलिए, जुर्माने में, हम मानते हैं कि याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 8 (3) के संदर्भ में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराया गया था। ऐसी परिस्थितियों में, वह धारा 81 (1) के संदर्भ में "ऐसे चुनाव में एक उम्मीदवार" के रूप में एक चुनाव याचिका को बनाए नहीं रख सकती थीं।इसलिए,

जी.

9 (2013) 7 एससीसी 653 10 (1995) 2 एससीसी 513 11 (2007) 1 एससीसी 673 12 (2018) एआईआर 4675 ए

एच.

657

सरिता एस. नायर वी. हिबी ईडन [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

उच्च न्यायालय ने निर्वाचन याचिका पर सुनवाई करते हुए निरर्थकता में कोई प्रयास नहीं किया, हालांकि उच्च न्यायालय ने दोषों के लाइलाज होने के आधार पर निर्वाचन याचिका को खारिज करने में गलत किया।

63. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी जाती है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अंकित ज्ञान

एसएलपी खारिज कर दी गई।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.